रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 446] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 5, 2013/भाद्र 14, 1935

No. 446] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 5, 2013/BHADRA 14, 1935

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2013

सा.का.नि. 593(अ).—केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 52 की उप-धारा (2) के खंड (ढ), खंड (ण), और खंड (त) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

अध्याय-1

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधिक माप विज्ञान (सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र) नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं.**—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) "अधिनियम" से विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) अभिप्रेत है;

(ख) "सरकार" द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इन नियमों में विनिर्दिष्ट बाट या माप का सत्यापन करने के लिए अनुमोदित किया गया है ।

(ग) "प्रधान अधिकारी" से ऐसा अधिकारी समिप्रेत है जो सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र का भारसाधक है ।

(घ) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची से अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं क्रमश: वही अर्थ होगा जो उस अधिनियम में उसका है ।

3827 GI/2013

अध्याय-2

सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र में बाट और माप का सत्यापन

3. सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र द्वारा सत्यापन:- (1) पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट बाट और माप का सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र द्वारा सत्यापन किया जाएगा।

(2) कोई भी व्यक्ति एक या अधिक प्रकार के बाट और माप का सत्यापन करने के लिए आवेदन कर सकता है।

अध्याय- 3

सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र का अनुमोदन

4. सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र संबंधी साधारण उपबंध:- (1) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्रों की मान्यता सूची समय-समय पर अधिसूचित की जाएगी।

(2) इन नियमों के अधीन सरकार द्वारा अनुमोदित मान्यता प्राप्त परीक्षण केंद्र बाट और माप का सत्यापन यथास्थिति इन नियमों में विनिर्दिष्ट रूप से और विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियमों 2011 में दिए गए विनिर्देशनों के अनुसार तथा अन्तर्राष्ट्रीय विधिक माप विज्ञान संगठन की ऐसी सिफारिशों के आधार पर, निदेशक, विधिक माप विज्ञान द्वारा जिसकी समय-समय पर सलाह दी जाए करेगा।

(3) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र, विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 में यथा विनिर्दिष्ट मानक बाट या माप और अन्य ऐसे उपकरण और उपस्कर रखेगा जिनकी सलाह निदेशक विधिक माप विज्ञान द्वारा दी जाए।

5. सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र, की मान्यता:- (1) इन नियमों में विनिर्दिष्ट बाट या माप का सत्यापन करने के लिए इन नियमों के अधीन मान्यता प्राप्त करने का इच्छुक कोई व्यक्ति, दूसरी सूची में यथा विनिर्दिष्ट प्ररूप में निदेशक, विधिक माप विज्ञान को आवेदन करेगा।

(2) आवेदन केवल उक्त प्रयोगशाला के प्रधान अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(3) निदेशक, विधिक माप विज्ञान, सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र अनुमोदन की सिफारिश करते समय निम्नलिखित पर विचार करेगा:-

(क) भूमि और भवन की उपलब्धता और पहुंच;

(ख) मापन उपस्करों, परीक्षण सुविधाओं और अन्य अवसंरचना की पर्याप्तता

(ग) तकनीकी रूप से अर्हित जन शक्ति की उपलब्धता;

(घ) ग्राहकों के लिए दक्ष और समयबद्ध सेवा की क्षमता;

(ङ.) निदेशक, विधिक माप विज्ञान द्वारा अवधार्य द्वितीयक मानक प्रयोगशाला या निर्धारित अन्य किसी अभिकरण द्वारा उपकरण को आवधिक रूप से सत्यापित करवाने की इच्छा;

(च) निदेशक, विधिक माप विज्ञान द्वारा नामनिर्देशित संस्थाओं में अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करवाने की इच्छा;

(छ) अन्य कोई कारक, जो निदेशक, विधिक माप विज्ञान की राय में सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र के उपयुक्त कार्यकरण को प्रभावित करेगा;

(ज) स्थापना की शर्तें;

(झ) अर्हताएं: सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र के प्रधान अधिकारी या किसी कर्मचारी की अर्हता विधिक माप विज्ञान (सामान्य नियम), 2011 में यथा विनिर्दिष्ट विधिक माप विज्ञान अधिकारी के समतुल्य होगी;

(ञ) अनुभव- सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र के प्रधान अधिकारी या किसी कर्मचारी को विधिक माप-विज्ञान क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष कार्य करने का अनुभव होना चाहिए;

(4) संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण का अनुमोदन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा; जो निदेशक की सिफारिश पर ऐसा अनुमोदन देगा;

(5) सक्षम प्राधिकारी, उप-नियम (4) के अधीन, एक वर्ष के लिए अनुमोदन प्रदान करेगा और तत्पश्चात् बाद उसे एक बार में पांच वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए नवीकृत किया जाएगा।

(6) निदेशक, विधिक माप विज्ञान, सरकार द्वारा अनुमोदित प्रत्येक परीक्षण केंद्र की सुगम पहचान और रिकार्ड के लिए एक विशिष्ट कोड संख्या जारी करेगा।

(7) पात्रता की शर्तों को पूरा न करने की दशा में निदेशक, विधिक माप विज्ञान आवेदन

नामंजूर कर देगा और आवेदक को लिखित सूचना भेजेगा।

(8) उप-नियम (7) के अधीन आदेशों से व्यथित कोई व्यक्ति सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग को अपील कर सकेगा। जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

(9) यदि सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र इन नियमों में विनिर्दिष्ट किन्हीं निबंधन और शर्तों का पालन करने में असफल रहता तो निदेशक, विधिक माप-विज्ञान द्वारा सरकार द्वारा अनुमोदित किसी परीक्षण केंद्र को प्रदान किया गया अनुमोदन प्रमाण पत्र निलंबित किया जा सकेगा।

परंतु ऐसा कोई निलंबन सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र को केवल प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध हेतु पैरवी करने का अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा।

परंतु यह और कि ऐसा निलंबन, ऐसे निबंधनों और शर्तों का पालन किए जाने प्रतिसंहृत कर दिया जाएगा।

10. जब कभी अपेक्षित हो निदेशक या उसका प्राधिकृत अधिकारी सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र का दौरा कर सकेगा और प्रधान अधिकारी निरीक्षणों की अनुज्ञा देगा तथा इसके लिए सभी सहायता प्रदान करेगा जिसके अन्तर्गत बाट और माप के सत्यापन के संबंध अभिलेख प्रस्तुत करना भी है।

(11) प्रधान अधिकारी, उनके द्वारा सत्यापित बाट और माप संग्रहित फीस, प्रत्येक परीक्षण के लिए लिया गया समय और ऐसी अन्य सुसंगत जानकारी जो अपेक्षित हो, के संबंध में निदेशक को तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(12) प्रधान अधिकारी, बाट और माप का सत्यापन करते समय विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 में अभिकथित प्रक्रिया को अपनाएगा।

(13) यदि परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें उससे सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र के रूप में समुचित रूप से कार्य करने की युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशा नहीं की जा सकती है तो प्रदत्त अनुमोदन प्रमाण पत्र को निदेशक द्वारा रद्द किया जा सकेगा।

परंतु, मान्यता का कोई भी प्रमाण पत्र सुनवाई का अवसर दिए बिना ही रद्द नहीं किया जाएगा।

(14) जहां कोई अनुमोदन प्रमाण पत्र उप-नियम (4) के अधीन प्रदान किया गया है या उप-नियम (9) के अधीन निलंबित किया गया है या उप-नियम (13) के अधीन रद्द किया गया है, वहां निदेशक, विधिक माप विज्ञान यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी कार्रवाई की सूचना राज्य के विधिक माप विज्ञान के संबंधित नियंत्रक को शीघ्र भेजी जाए,

(15) सक्षम प्राधिकारी, सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र से ऐसा अन्य पक्षकार दायित्व किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा जो सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र द्वारा की गई किसी गलती या सरकार के अनुदेशों के उल्लंघन कारण हुए नुकसान के किसी दावे को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त हो।

(16) उपभोक्ता मामले विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्य कर रही सभी क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशालाएं इन नियमों के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सरकार द्वारा मानित अनुमोदित परीक्षण केंद्र के रूप में कार्य करेगी और इन नियमों के उपबंध ऐसी क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशालाओं को इस प्रकार लागू होंगे मानो वे सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र हैं।

अध्याय-4

सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र का प्रमाण पत्र

6. प्रधान अधिकारी के कर्तव्य:- परीक्षण केंद्र के प्रधान अधिकारी के उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं, अर्थात्:-

(i) एक स्वतंत्र एकक के रूप में परीक्षण केंद्र स्थापित करना और संचालित करना;

(ii) यह सुनिश्चित करना कि परीक्षण केंद्र के कर्मचारीवृंद अपने कर्तव्यों को स्वतंत्र रूप से करें;

(iii) उपभोक्ता मामले विभाग में निदेशक, विधिक माप विज्ञान को परीक्षण केंद्र के प्रचालन की समाप्ति की सूचना देना;

(iv) समय समय पर जारी नियमों और निदेशों के अनुसार परीक्षण उपस्करों की यथार्थता को बनाए रखना;

(v) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र द्वारा परीक्षण और जारी किए गए प्रमाण पत्रों का समुचित अभिलेख रखना;

(vi) उपभोक्ताओं की शिकायतों को समुचित रीति में अभिलिखित करना, रिकार्ड रखना और दूर करना;

(vii) निदेशक (विधिक माप विज्ञान) द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशो का पालन करना।

(viii) केवल विनिर्देशों के अनुरूप बाट तथा माप को ही मुद्रांकन किया जाएगा।

(ix) सत्यापन स्टाम्प को कपटपूर्ण उपयोग से पर्याप्त रूप से संरक्षित रखना;

(x) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र द्वारा सत्यापन द्वारा सत्यापन और स्टाम्प के लिए प्राप्त बाट तथा माप को सम्यक रूप से सत्यापित करने के पश्चात् पंद्रह दिन के भीतर वापिस कर दिया जाएगा।

7. सत्यापन या पुन: सत्यापन के लिए फीस: (1) बाट या माप के सत्यापन अथवा पुन: सत्यापन के लिए परीक्षण केंद्र को संदेय फीस वहीं होगी जो उस राज्य के जहां सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र स्थित है, के विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए।

(2) सत्यापन के आधार पर अस्वीकृत किया गया कोई भी बाट या माप, उपयोगकर्ता को आवश्यक मरम्मत के लिए वापिस कर दिया जाएगा और मरम्मत के पश्चात बाट या माप नए सिरे से सत्यापन फीस का संदाय किए जाने पर सत्यापन के लिए स्वीकृत किया जा सकेगा।

8. सत्यापन चिह्न: (1) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र, बाट या माप के विधिक माप विज्ञान मूल्यांकन करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि वह अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों में अभिकथित विनिर्देशों के अनुरूप है, उस पर स्टाम्प लगाएगा और सत्यापन प्रमाण पत्र भी जारी करेगा।

(2) सत्यापन चिह्न में निम्नलिखित विशिष्टियां समाविष्ट होंगी; अर्थात्त:-

(i) अद्धगोलाकार के ऊपरी भाग में विशेष शब्द "आई एन डी" और परीक्षण केंद्र की नियत की गई कोड संख्या

(ii) अर्द्ध गोलाकार के निचले भाग में वर्ष की तिमाही के लिए कोड शब्द और उस वर्ष के दो अंक।

(3) परीक्षण केंद्र द्वारा सत्यापन प्रमाणपत्र सत्यापन के सबूत के रूप में भी जारी किया जाएगा।

9. अभिलेखों का निरीक्षण: सरकार द्वारा अनुमोदित प्रत्येक परीक्षण केंद्र उसके द्वारा किए गए बाट या माप के मूल्यांकन का अभिलेख पांच कैलेण्डर वर्ष के लिए अभिधारित करेगा। परीक्षण केंद्र द्वारा इन अभिलेखों को निदेशक (विधिक माप विज्ञान) या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के समक्ष जब कभी वह निदेश दे, प्रस्तुत किया जाएगा।

10. सत्यापन का स्थान परीक्षण केंद्र बाट या माप का सत्यापन, या तो अपने प्राधिकृत परिसर में या उस जिले के सीमा के भीतर जहां सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षा केंद्र कार्य करता है, करेगा।

11. सरकार द्वारा अनुमोदित पर्यवेक्षण केंद्र का पर्यवेक्षण:- निदेशक या कोई अन्य प्राधिकृत विधिक माप विज्ञान अधिकारी, यह परीक्षा करने के लिए कि सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्रों का सरकार द्वारा अभिकथित प्रक्रियाओं और जारी अनुदेशों के अनुसार संचालन किया जा रहा है या नहीं, समय-समय पर परीक्षण केंद्र का दौरा कर सकेगा।

12. दायित्व:- परीक्षण केंद्र के लिए जिम्मेदार प्रधान अधिकारी किसी भी हानि, नुकसान विधिक दावों के लिए सरकार के प्रति उत्तरदायी होगा।

13. सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र के प्रमाणपत्र की अर्न्तवस्तुएं; (1) सरकार द्वारा जारी प्रत्येक अनुमोदन प्रमाणपत्र में निम्नलिखित जानकारी अन्तर्विष्ट होगी:-

(क) प्रमाणपत्र की संख्या

(ख) ऐसे बाट तथा माप का नाम जिसके लिए सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र का अनुमोदन किया गया है।

(ग) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र के लिए नियत चिहन या कोड।

(घ) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र के बारे में संक्षिप्त कथन

(ड.) विशेष शर्तें, यदि कोई हों;

(च) ऐसी अवधि जिसके लिए सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र का अनुमोदन किया गया है;

(छ) बाट या माप के सत्यापन की श्रेणी;

(ज) उपभोक्ता प्रतितोष के लिए संपर्क नंबर।

(2) जहां किसी बाट या माप का विशेष उपयोग आशयित है वहां ऐसे बाट या माप के संबंध में अनुमोदन प्रमाणपत्र पर ऐसे विशेष उपयोग को उपदर्शित किया जाएगा।

(3) निदेशक, सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र के प्रमाणपत्र को राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगा ।

(4) निदेशक पूर्ववर्ती उप नियमों में निर्दिष्ट जानकारी को केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रकाशित जर्नल यदि कोई हो, में भी प्रकाशित करवाएगा।

14. सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र का चिह्न :- सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र के लिए नियत चिह्न में राष्ट्रीय पहचान शब्द, अर्थात: आईएनडी, जारी किए जाने वाले वर्ष के अंतिम दो अंक (उदाहरण के लिए 11), सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र के लिए नियत कोड संख्या अन्तर्विष्ट किया जाएगा।

15. सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र के प्रमाणपत्र वापिस लिया जाना:- सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र के प्रमाणपत्र को वापिस लिया जा सकेगा यदि केन्द्रीय सरकार का, निदेशक विधिक माप विज्ञान की सिफारिशों के आधार पर यह समाधान हो जाता है कि सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र ने अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट उपबंधों का अभी तक अनुपालन नहीं किया है या निदेशक, विधिक माप विज्ञान द्वारा समय-समय पर दिए गए निदेशों का विनिर्दिष्ट रूप से उल्लंघन किया है।

परन्तु, ऐसा कोई प्रमाणपत्र को तब तक वापिस नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे प्रमाणपत्र के धारक को प्रस्तावित कार्रवाई के विरूद्ध हेतुम दर्शित करने का अवसर नहीं दिया जाता है।

(2) जहां सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र का प्रमाणपत्र वापिस ले लिया जाता है वहां सरकार द्वारा अनुमोदित उस परीक्षण केंद्र द्वारा सत्यापन कार्य को तुरंत रोक दिया जाएगा;

परन्तु, जहां ऐसा कोई निरीक्षण करने पर यह पाया जाता है कि ऐसे किसी बाट या माप का सत्यापन किया गया है तो निदेशक, आदेश द्वारा ऐसे बाट या माप के उपयोग को प्रतिषिद्ध कर सकेगा और कोई अन्य उचित शास्तिक कार्रवाई आरंभ कर सकेगा।

(3) अनुमोदन प्रमाणपत्र के वापस लेने या निलम्बन का प्रत्येक आदेश सम्यक रूप से से अधिसूचित किया जाएगा।

16. सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र के प्रमाणपत्र का निलम्बन:
(1) विशिष्ट बाट और माप के सत्यापन के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र का प्रमाणपत्र, निदेशक निलम्बित करेगा, जब धारक नियम के अनुपालन में गलती करेगा या असफल रहेगा ।
(i) बाट तथा माप को संबंधित प्रमाणपत्र के अनुसार सत्यापन करने, या
(ii) अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों या मानकों के अनुरूप सत्यापन नहीं करने, या
(iii) प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन न पर,
परन्तु, ऐसा कोई निलम्बन, प्रमाणपत्र के धारक को प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध हेतुक प्रदर्शित करने का अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा।

(2) जहां किसी प्रमाणपत्र को उप नियम (1) के अधीन निलंबित किया गया है, वहां निलंबन का आदेश को तब तक बातिल नहीं जाएगा जब तक ऐसी विफलता या चूक जिसके लिए निलंबन किया गया है का पालन नहीं कर लिया जाता है और अपराध का शमन करने सम्बन्धी राशि उसी प्ररूप में, जो सरकार द्वारा अनुमोदित जांच केन्द्र के आवेदन के लिए जमा नहीं कर दी जाती है।

17. प्रमाणपत्र का नवीकरण: सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र को दिया गया अनुमोदन तत्पश्चात एक समय पर निदेशक (विधिक माप विज्ञान) द्वारा केंद्र के समाधानपद रूप में कार्यकाल के अधीन रहते हुए अधिकतम पांच वर्ष तक की अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकेगा।

18. बाट या माप के सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र हेतु आवेदन करने के लिए जमा की जाने वाली फीस:-
(1) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र हेतु आवेदन करने की फीस दस हजार रुपए मांगदेय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा की जाएगी और नवीकरण के समय भी संदत्त किया जाएगा।

3827 GI/13-3

(2) आवेदक द्वारा फीस की उतनी रकम, सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र के प्रमाणपत्र में सत्यापन के लिए एक या अधिक बाट या माप जोड़ने के समय भी जमा की जाएगी।

19. कैलेन्डर वर्ष के दौरान सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र के निर्धारण या पुन: निर्धारण अथवा निरीक्षण पर व्यय, अधिकारी (अधिकारियों) की हकदारी के अनुसार परिवहन और आवास सुविधाओं सहित, और सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र के निर्धारण अथवा पुन:निर्धारण या अनिवार्य वार्षिक निरीक्षण के लिए प्रदान की गई सुविधा और सहयोग का सम्पूर्ण व्यय आवेदक द्वारा किया जाएगा।

20. अपराधों का शमन:- जहां यह पाया जाता है कि कोई सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र धारा 48 की उप धारा (1) में निर्दिष्ट उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो प्रथम अपराध के लिए पचास हजार रुपए की राशि से और प्रत्येक पश्चातवर्ती उल्लंघन के अपराध के लिए पचहत्तर हजार रुपए की राशि द्वारा शमन किया जा सकेगा।

[फा. सं. डब्ल्यू एम 9(6)/2011]

मनोज परिडा, संयुक्त सचिव

पहली अनुसूची

(नियम 3 का उप-नियम (1) देखें)

बाट तथा माप जिनका सत्यापन सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र द्वारा किया जाएगा।

1. पानी का मीटर
2. स्फाइग्मोमैनोमीटर
3. क्लीनिकल थर्मोमीटर
4. स्वचालित रेल वेब्रिज
5. टेप माप
6. शुद्धता वर्ग-IIII /श्रेणी-III (150 कि.ग्रा. तक) के अस्वचालित भार मापन उपस्कर
7. लोड सैल
8. बीम स्केल
9. काउंटर मशीन
10. सभी प्रवर्गों के बाट

दूसरी अनुसूची

(नियम 5 का उप-नियम (1) देखें)

सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र के लिए आवेदन

(1) व्यक्ति/आवेदक का पूरा नाम और पूरा पता;

(2) ऐसे बाट या माप का नाम जिसके सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र के लिए आवेदन किया गया है;

(3) आवेदक का विस्तृत और उसके सम्पूर्ण कार्य विवरण

(4) एन ए बी एल या निदेशक, विधिक माप विज्ञान द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र या नियमों में निर्दिष्ट किन्ही अन्य संस्थाओं द्वारा प्रदान किया गया प्रमाणपत्र;

(5) आवेदक का सुसंगत क्षेत्र के अनुभव का ब्यौरा;

(6) नियुक्त लोगों की संख्या और उनकी विशिष्टियां ;

(7) प्रस्तावित सरकार द्वारा अनुमोदन प्राप्त परीक्षण केंद्र का ब्यौरा सहित संगठन का कुल क्षेत्र

(8) प्रधान अधिकारी और उसके डिप्टी की अर्हता;

(9) संस्थानों के पास उपलब्ध मानकों का ब्यौरा तथा अन्य जांच सुविधाएं;

(10) क्या आवेदक के अधिकारियों ने भारत या विदेश में किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से गुणता प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ/आई ई सी 17025) और अनिश्चितता का मापन से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त किया है;

(11) प्रयोगशाला के गुणता प्रबंधन प्रणाली की प्रति, यदि उपलब्ध है;

(12) बाट या माप के जांच के क्षेत्र में अनुभव;

(13) अन्य कोई जानकारी जिसे जो आवेदक अपने कार्य का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक समझता है;

(14) मांगदेय ड्राफ्ट का ब्यौरा;

(15) ऐसी अधिकारिता/क्षेत्र जिसके लिए आवेदन किया गया है;

(16) ऐसा वचनबंध व्यक्ति या आवेदक जिसका विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों द्वारा पालन किया जाएगा।

(17) उपभोक्ता परिवाद संख्या।

टिप्पण: प्रत्येक आवेदन पूरे दस्तावेजों और शर्तों तथा निबंधन के साथ तीन प्रतियों में होगा। 10,000/-रु. फीस, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षण केन्द्र के लिए आवेदन करते समय, डिमांड ड्राफ्ट के रूप में, नई दिल्ली में देय "वेतन और लेखा अधिकारी, उपभोक्ता मामले विभाग" के पक्ष में, संदत्त की जाएगी।

तीसरी अनुसूची
(नियम 8 देखें)
सत्यापन प्रमाणपत्र

सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र (नाम तथा पता)..

संख्या...............................

अधिकारी का नाम...

मैं, यह सत्यापित करता हूं कि मैंने नीचे उल्लिखित बाटों, मापों आदि की जांच आज तारीख............ को सत्यापित और स्टांपित/निरस्त किया है।

.............................से संबंधित.....................क्षेत्र

मात्रा	अभिधान		तोलन वाले उपष्कर				मापने वाले उपष्कर	सत्यापन फीस	दुलाई, सवारी समायोजन प्रभार आदि
	बाट	माप	क्षमता	श्रेणी	विनिर्माता	प्रकार			
1	2	3	4	5	6	7	8		

तारीख..................... की मुद्रा रसीद सं.................. द्वारा जमा किए गए कुल रु.................... के द्वारा मरम्मत की गई/प्रयोग में लाया गया

.................हस्ताक्षर
प्रधान अधिकारी

अगली जांच तारीख...........को नियत

टिप्पण:- निरस्त किए गए बाट, माप आदि के मामले में प्रधान अधिकारी प्रत्येक मद के सामने निरस्त किए जाने के कारणों का उल्लेख करते हुए एक पृथक निरस्त प्रमाणपत्र देगा।

चौथी अनुसूची

(नियम 4 देखें)

सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र का प्रमाणपत्र

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

उपभोक्ता मामले विभाग

विधिक माप विज्ञान प्रभाग

सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र का अनुमोदन प्रमाणपत्र
(विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 24 के अधीन

सं. डब्लयू.एम.-......(1)/2013

सत्यापित किया जाता है कि मैसर्स ....
....
...(सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र का नाम तथा पता) को निम्नलिखित बाट तथा माप (विभिन्न प्रकार सहित) की जांच हेतु..................(स्थान/जिले का नाम) के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के रूप में अनुमोदित कर दिया गया है:

(i) ....

(ii) ....

(iii) ....

प्रमाणपत्र सं.: जी.ओ.आई./सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र/........(राज्य कोड के दो अंक)/2013/...........

..........2014 तक विधिमान्य

निदेशक, विधिक माप विज्ञान

प्रति प्रेषित: नियंत्रक विधिक माप विज्ञान ....सरकार को सूचना के लिए।
टिप्पण: उपभोक्ता शिकायत के मामले में कृपया........................से संपर्क करें।

3827 GI/13-4

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2013

G.S.R. 593(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section(1) read with clauses (n), (o) and (p) of sub-section (2) of section 52 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

CHAPTER- I
PRELIMINARY

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called The Legal Metrology (Government Approved Test Centre) Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.-(1) In these rules, unless the context otherwise requires.-

(a) "Act" means the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010);
(b) "Government Approved Test Centre" means a person who has been approved by the Central Government to undertake verification of weight or measure specified in these rules.
(c) "Principal Officer" means the officer who is In-charge of Government Approved Test Centre;
(d) "Schedule" means a Schedule appended to these rules.

(2) Words and expressions used herein and not defined in these rules but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in that Act.

CHAPTER- II
Verification of Weights and Measures in Government Approved Test Centre

3. Verification by Government Approved Test Centre:- (1) The weights and measures specified in the First Schedule shall be verified by Government Approved Test Centre.

(2). Any person can apply for one or more kinds of weights and measures for verification.

CHAPTER- III
Approval of Government Approved Test Centre

4. General provisions relating to Government Approved Test Centre.-(1) The list of recognized Government Approved Test Centres shall be notified from time to time.

(2) A Government Approved Test Centre recognized under these rules shall carry out verification of weights or measures as specified in these rules and according to the specifications given in the Legal Metrology (General) Rules, 2011 and on the recommendations of International Organization of Legal Metrology, as the case may be, as advised by Director, Legal Metrology from time to time.

(3) Government Approved Test Centre shall maintain Standard Weights or Measures as specified in the Legal Metrology (General) Rules, 2011 and other instruments and equipments as advised by the Director, Legal Metrology.

5. Recognition of Government Approved Test Centre.- (1) Any person desirous of obtaining recognition under these rules for carrying out verification of weights or measures specified in these rules, shall make an application to the Director, Legal Metrology in the form as specified in the Second Schedule.

(2) The application shall be made only by the Principal officer of the said laboratory.

(3) While making recommendation for approval of a Government Approved Test Centre, the Director, Legal Metrology shall consider the following:-

(a) availability and accessibility of land and building;
(b) adequacy of measuring equipments, testing facilities and other infrastructure;
(c) availability of technically qualified man power;
(d) capacity for efficient and timely service to customers;
(e) willingness to get equipment periodically verified by secondary standard laboratory or any other agency determinable by Director, Legal Metrology;
(f) willing to train its employees in institutions nominated by Director Legal Metrology;
(g) any other factor, which in the opinion of Director, Legal Metrology will affect proper functioning of Government Approved Test Centre;
(h) conditions to set up;
(i) Qualifications.- The qualification of the principal officer or any of the employee of the Government Approved Test Centre shall be equivalent to the qualification as specified in the Legal Metrology (General Rules), 2011 for a Legal Metrology Officer;
(j) Experience.-The principal officer or any of the employees of the Government Approved Test Centre shall have working experience of at least three years in the field of legal metrology.

(4) The Joint Secretary, Department of Consumer Affairs shall be the Competent Authority to approve the Government Approved Test Centre who shall give such approval on the recommendation of Director.

(5) The competent authority shall grant approval under sub-rule (4), for one year and thereafter the same shall be renewed for a period not exceeding five years at a time.

(6) The Director of Legal Metrology will issue a specific code number to each Government Approved Test Centre for easy identification and records.

(7) In case of non-fulfilling of eligibility conditions the Director of Legal Metrology shall reject the application and send a written communication to the applicant.

(8) Any person aggrieved by orders under sub-rule (7) may appeal to secretary of the Department of Consumer Affairs whose decision thereon shall be final.

(9) Certificate of approval granted to any Government Approved Test Centre may be suspended by Director of Legal Metrology in case of Government Approved Test Centre fails to comply with any terms and conditions specified in these rules:

Provided that no such suspension shall be made except after giving to the Government Approved Test Centre an opportunity of showing cause against the proposed action:

Provided further that the suspension shall be revoked on compliance of such terms and conditions.

(10) The Director or his authorised officer may visit the Government Approved Test Centre as and when required and the Principal Officer shall permit inspections and render all assistance for the purpose including the production of records with regard to verification of weights and measures.

(11) The Principal Officer shall submit a quarterly report to the Director in respect of the weights and measures verified by them, the fee collected, time taken for each testing and such other relevant information, as required.

(12) The Principal Officer, while verifying the weights and measures shall adopt the procedure laid down in the Legal Metrology (General) Rules, 2011.

(13) The certificate of approval granted may be cancelled by the Director if the circumstances are such that it cannot be reasonably expected to function properly as a Government Approved Test Centre:

Provided that no certificate of recognition shall be cancelled except after giving an opportunity of being heard.

(14) Where the certificate of approval has been granted under sub-rule (4) or

suspended under sub-rule (9) or cancelled under sub-rule (13), the Director of Legal Metrology shall ensure that the information of such action has been given to the concerned Controller of Legal Metrology of the State immediately.

(15) The competent authority may require Government Approved Test Centre to take out third party liability insurance sufficient to cover any claim for damage due to any lapses or violation of government instructions by such Government Approved Test Centre.

(16) All the Regional Reference Standard Laboratories working under the administrative control of the Department of Consumer Affairs function as deemed Government Approved Test Centre on the date of publication of these rules in the Official Gazette and the provisions of these rules shall apply to such Regional Reference Standard Laboratory as if they were Government Approved Test Centre.

CHAPTER IV
Certificate of Government Approved Test Centre

6. Duties of the Principal Officer.- The principal officer of the test centre has the following responsibilities, namely.-

(i) to establish and operate the test centre as an independent unit;
(ii) to ensure that the staff of the test centre carry out their duties independently;
(iii) to inform the Director, Legal Metrology in the Department of Consumer Affairs of cessation of operation of test centre;
(iv) to maintain the accuracy of testing equipment as per rules and directions issued from time to time;
(v) to maintain proper record of testing and certificates issued by Government Approved Test Centre;
(vi) to record and redress grievances of customers in appropriate manner;
(vii) to abide by the directions issued by Director (Legal Metrology) from time to time,
(viii) only weights or measures conforming to specification are stamped;
(ix) verification stamps are adequately protected against fraudulent use;
(x) the weights and measure received for verification and stamping should be returned by Government Approved Test Centre after due verification within fifteen days.

7. Fee for verification or re-verification.- (1) The fee payable to test centre for verification or re-verification of weights or measures shall be the same as specified in the Legal Metrology (Enforcement) Rules of that State where Government Approved Test Centre is situated.

(2) Any weight or measure rejected on verification shall be returned to the user for

3827 GI/13-5

necessary repair and after repair the weight or measure may be accepted for verification on payment of verification fee afresh.

8. Mark of verification.- (1) The Government Approved Test Centre after carrying out metrological evaluation of weight or measure and on being satisfied that the same conforms to specification laid down under the Act and rules made thereunder shall stamp the same and also issue a certificate of verification.

(2) The verification mark shall contain the following particulars; namely:-

(i) the legend "IND" and the code number assigned to the test centre in the upper half of semi circle;

(ii) code letter for the quarter of the year and two digits for the year in the lower half of semi circle.

(3) A certificate of verification shall also be issued by the test centre as a proof of verification.

9. Inspection of records.- Every Government Approved Test Centre shall keep and retain records for five calendar years of evaluation of weight or measure carried out by them. These records shall be produced by the test centre before the Director (Legal Metrology) or any officer authorized by him, as and when directed.

10. Place of verification.- The test Centre shall undertake verification of weights or measures either in its authorized premises or within the limit of the district where the Government Approved Test Centre operates.

11. Supervision of Government Approved Test Centre.- The Director or any other authorized legal metrology officer may visit the test centre from time to time to examine whether the Government Approved Test Centres are run as per laid down procedures and instructions issued by the Government.

12. Liability.- The Principal Officer responsible for the test centre shall be liable to the Government for any loss, damage, Legal claims.

13. Contents of Government Approved Test Centre certificate - (1) Every certificate of approval issued by Government shall contain the following information-

(a) the number of the certificate;

(b) name of weight and measure for which Government Approved Test Centre has been approved.

(c) the mark or code assigned to the Government Approved Test Centre;

(d) a brief statement about Government Approved Test Centre;

(e) the special conditions, if any;

(f) period for which Government Approved Test Centre approved;
(g) range for verification of weight or measure;
(h) contact number for consumer redressal.

(2) Where any weight or measure is intended for a special use, the certificate of approval in relation to such weight or measure shall indicate the special use.

(3) The Director shall cause the necessary Government Approved Test Centre certificate to be published in the official Gazette.

(4) The Director may also cause the information referred to in the foregoing sub-rules to be published in the journal, if any, published by the Central government.

14. Mark to Government Approved Test Centre.- The mark assigned to the Government Approved Test Centre shall contain the national identification letters, namely, IND, the last two digits of the year of the issue (for example, 11), the code number assigned to the Government Approved Test Centre.

15. Revocation of certificate of Government Approved Test Centre. - A certificate of Government Approved Test Centre may be revoked if the Central Government is satisfied on the recommendation of the Director, Legal Metrology that the Government Approved Test Centre approved, no longer complies with the provisions specified in the rules made under the Act, or specifically violates the directions given by Director Legal Metrology from time to time:

Provided that no such certificate shall be revoked unless the holder of such certificate has been given an opportunity of showing cause against the proposed action.

(2) Where the certificate of Government Approved Test Centre has been revoked, the verification work shall be stopped by that Government Approved Test Centre immediately:

Provided that where, on such inspection, it is found that the verification of any such weight or measure is conducted, the Director may by order, prohibit the use of such weight or measure and initiate other appropriate penal action.

(3) Every order of revocation or suspension of certificate of approval shall be duly notified.

16. Suspension of certificate of Government Approved Test Centre. - (1) A certificate of Government Approved Test Centre for verification of specified weights and measures may be suspended by the Director in the event of the omission or failure on the part of the holder of such certificate;
(i) to verify the weights or measures in accordance to which the certificate relates, or
(ii) verification not conforming to the rules or standards specified in the Act and rules

made their under, or

(iii) not complying with the conditions specified in the certificate:

Provided that no such suspension shall be made except after giving to the holder of the certificate an opportunity of showing cause against the proposed action.

(2) Where any certificate has been suspended under sub-rule (1), the order of suspension shall not be vacated unless the omission or failure for which such suspension was made, has been complied and the sum for compounding the offence has been deposited to the Government in the same form as prescribed for applying the Government Approved Test Centre.

17. Renewal of Certificate: The approval granted to Government Approved Test Centre may be renewed for a period not exceeding five years at a time subsequently by the Director (Legal Metrology) subject to the satisfactorily functioning of the centre.

18. Fees for applying for Government Approved Test Centre of weights or measures to be deposited.- (1) A fee of rupees ten thousand for applying Government Approved Test Centre shall be deposited in the form of demand draft and the same will be paid at the time of renewal.

(2) The same amount of fee shall also be deposited by the applicant at the time of addition of one or more weight or measure for verification in the certificate of Government Approved Test Centre.

19. Expenditure on assessment or re-assessment or inspection of Government Approved Test Centre during the calendar year.- All the expenses including transportation and accommodation, as per the entitlement of the officer(s) and in providing the facility and co-operation for the assessment or re-assessment or compulsory yearly inspection of Government Approved Test Centre shall be borne by the applicant.

20. Compounding the offences.- Where it is found that any Government Approved Test Centre has contravenes the provisions specified in sub-section (1) of section 48 may be compounded by a sum of rupees fifty thousand for the first offence and by a sum of rupees seventy five thousand for every subsequent contravention.

[F. No. WM-9(6)/2011]

MANOJ PARIDA, Jt. Secy.

First Schedule

(See sub rule (1) of rule 3)

Weights and Measures which shall be verified by Government Approved Test Centre:

1. Water meter
2. Sphygmomanometer
3. Clinical Thermometer
4. Automatic Rail Weighbridges
5. Tape Measures
6. Non-automatic weighing instrument of Accuracy Class-IIII/ Class-III (upto 150kg)

7. Load cell
8. Beam Scale
9. Counter Machine
10. Weights of all categories

Second Schedule

(See sub-rule (1) of rule 5)

Application for Approval of Government Approved Test Centre

(1) Full name and complete address of the person/ applicant;
(2) Name of the weight or measure for which Government Approved Test Centre has been applied;
(3) The detail and complete function of the applicant;
(4) NABL or Director, Legal Metrology certificate or certificate provided by any other institutions specified in the rules;
(5) Experience detail in the relevant field of the applicant;
(6) No. of persons employed and their particulars;
(7) Total area of the organization including the detail of Government Approved Test Centre proposed.
(8) Qualification of Principal Officer and his deputy --------;
(9) Detail of the standards available with the institutions and other testing Facilities;
(10) Are the officers of the applicant has acquired the training in respect of quality management system (ISO/IEC 17025) and measurement of uncertainty from any recognized laboratory in India and abroad;
(11) Copy of the Quality management system of the laboratory, if available;
(12) Experience in the field for testing of the weights or measure;
(13) Any other information which the applicant may consider to be useful for assessing the performance of the applicant;
(14) Details of the Demand Draft
(15) Jurisdiction / area for which application is made
(16) Undertaking that person or applicant will abide by the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 and the rules made there under.
(17) Consumer complaint number.

NOTE: Every application shall be in triplicate accompanied by complete documents and terms and conditions. A fee of Rs.10,000/- will be paid in the form of Demand Draft in favour of "Pay and Accounts Officer, Department of Consumer Affairs" payable at New Delhi at the time of applying for Government Approved Test Centre.

3827 91/13-6

Third Schedule

[See rule 8]

Certificate of verification

Government Approved Test Centre (Name and Address)..

No......................

Name of the Officer ....

I hereby certify that I have this day verified and stamped / rejected the under mentioned weights, measurers, etc.

Belonging to .... Locality ....

Quantity	Denomination		Weighing instruments				Measuring instruments	Verification Fee	Carriage. conveyance adjusting charges etc.
	Weights	Measures	Capacity	Class	Manufacturer	Type		Rs. p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Total Rs. .... deposited vide Money receipt .No. .... dated ....

Repaired by/ Used by

.... (Signature)

Next verification due on .... Principal Officer

Note:- In the case of rejected weights, measures, etc. the principal officer shall give separate Certificate of rejection mentioning the reasons of rejection against each item.

Fourth Schedule
[See rule 14]
Certificate of Government Approved Test Centre
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION
DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS
LEGAL METROLOGY DIVISION

CERTIFICATE OF APPROVAL OF GOVERNMENT APPROVED TEST CENTRE
[Under Section 24 of the Legal Metrology Act, 2009]

No. WM-....(1)/2013 Dated New Delhi-.................2013

CERTIFY THAT M/s.. .... (name and address of Government Approved Test Centre) has been approved as Government Approved Test Centre for ....(name of place/ district) for the verification of following weights and measures with their ranges:

(i) ....
(ii) ....
(iii) ....

Certificate No: GOI/ GOVERNMENT APPROVED TEST CENTRE/...... (two digits of the State Code)/ 2013/ .....

Valid up to: 2014

Director of Legal Metrology

Copy to: The Controller of Legal Metrology, Govt. of .... for kind information.

Note: In case of consumer complaint please contact ...."

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.